UPKU010041212026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–UP2018**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1179/2026**

अनिल यादव बउम्र 27 वर्ष पुत्र तारकेश्वर यादव, साकिन– मदरहवां मुंजा टोला, बगहा, थाना– नदी, जनपद–पश्चिमी चम्पारण (बिहार)।

––– अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी

मु०अ०सं०– 797/2025
मुकदमा सं०–524/2026
धारा–303(2),317(2),317(4),317(5),
341(2),111(2)(B) बी०एन०एस०
थाना– कसया,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अनिल यादव की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दयानन्द यादव द्वारा दिनांक 01–12–2025 को थाना कसया में इस आशय की लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 29–11–2025 को समय करीब 12.50 p.m. बजे वह खादी ग्रामोद्योग कसया मेला में आया था तथा मोटरसाइकिल HF डिलक्स लाल रंग माडल 2015 नंबर UP57Y7459 चेचिस नंबर MBLHA11ATF8K44653 को गेट पर खड़ी कर मेले में चला गया। वापस गाड़ी के पास आया तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी।तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ कभी नहीं रहा न ही वह उन्हें पहचानता है। अभियुक्त द्वारा

संगठित अपराध का कृत्य नहीं किया गया है। दिनांक 05–12–2025 को समय करीब 5 बजे शाम को अभियुक्त जब बांसी बाजार स्थित अपने कमरे से सब्जी लेने जा रहा था तो पुलिस द्वारा उसे अवैध हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर इस मामले में झूँठा चालान कर दिया गया। पुलिस द्वारा दिखाई गई बरादमगी पूर्ण रूप से गलत एवं बनावटी है। बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त दाहिने हाथ से दिब्यांग है। अभियुक्त के कन्धे से नीचे का हाथ नहीं है। समता का मामला है। सह अभियुक्त अशोक पासवान की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 11–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से जेल में निरूद्ध है। तदनुसार जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया है कि अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के कब्जे व निशानदेही पर 11 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस पार्टी वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी तभी मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ पकड़ा गया। अभियुक्त ने अपराध की संस्वीकृति की है। तदनुसार जमानत प्रार्थना खारिज करने की याचना की गई।

5–मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के बताने के आधार पर प्रकाश में आया है। बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बनाया गया है। अभियोजन द्वारा बरामद की गई मोटरसाइकिलों को किसी अपराध से कनेक्ट किया जाना नहीं बताया गया है। अभियोजन यह बताने में असफल रहा है कि बरामदशुदा मोटरसाइकिलें किसकी हैं। अभियुक्त दिनांक 07–12–2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। समता का मामला है। सह अभियुक्त अशोक पासवान की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 11–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। उक्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अनिल यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी मुचलका सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाय–

1–अभियुक्त आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेगा।

2– अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को

न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

दिनांकः 08.06.2026
R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.08 14:51:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court